रिपोर्ट: वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित कार्यशाला

तिथि: 5 सितंबर 2024

स्थान: सत्याग्रह मंडप, गांधी स्मृति, राजघाट, नई दिल्ली

रिपोर्ट: वक़्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित कार्यशाला

तिथि: 5 सितंबर 2024
स्थान: सत्याग्रह मंडप, गांधी स्मृति, राजघाट, नई दिल्ली
https://www.muslimrashtriyamanch.com/

विषय विवरणिका

1. **कार्यक्रम का परिचय।**
2. **वक्तव्यों का सारांश।**
3. **वक़्फ़ बोर्ड की धांधलियां।**
4. **वक़्फ़ बोर्ड अधिनियम की कमियां।**
5. **नया संशोधन बिल विकास की गांरटी व रोशनी।**
6. **विधेयक के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ कार्य कर रहे तत्कालीन समूहों/सदस्यों की जानकारी।**
7. **विधेयक के समर्थन में आगामी कार्य योजना।**
8. **05 सिंतबर 2024 को गांधी मंडप में हुए कार्यक्रम के चित्र।**

muslim rashtriya manch

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से डॉ. केशव पटेल (हिन्दी) और डॉ. शबीना शेख(अंग्रेजी) की रिपोर्ट

कार्यक्रम का परिचय:

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर सुझाव एवं चर्चा के लिए सत्याग्रह मंडप गांधी स्मृति राजघाट नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री उस्ताद मोहिउद्दीन खान साहब के सारंगी वादन से हुआ। वादन में गांधी जी की राम धुन और ईमाम-ए-हिन्द राम का भजन गाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर भारत से 30 से अधिक समूहों से 350 से ज्यादा मुस्लिम प्रतिभागीयों ने हिस्सा लिया। इनमें जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय.जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्विविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालय से भी मुस्लिम स्कालर शामिल थे। इसके अलावा सुन्नी (देबबंदी, बरेलवी), शिया और सूफी शाह मलंग आदि मुसलमान फिरकों के विभिन्न संस्थाओं के मौलाना और प्रतिनिधि शुमार थे। कार्यशाला साढे तीन घंटे चली जिसमें सत्रह से अधिक विद्वानों ने विषय रखे तथा सवाल-जबाव भी हुए। कांग्रेस सरकार के समय में बना वक्फ़ बोर्ड व नियमों से हिन्दुस्थानी मुसलमान बेहद दुखी और वक़्फ़ बोर्ड में बढते भ्रष्टाचार से परेशान नज़र आए।

वक्तव्यों का सारांश:

1. **मोहम्मद अफ़ज़ाल (राष्ट्रीय संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच):**अफ़ज़ाल जी ने अपने संबोधन की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमान निर रहीम और सर्वेभवंतु सुखिना से की। उन्होंने बताया कि वक़्फ़ संशोधन बिल मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है। वक़्फ़ की शुरुआत नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने की थी और वक़्फ़ बोर्ड का उद्देश्य गरीबों, बेवाओं और सताए हुए लोगों की सुरक्षा, तालीम और तरक्की के लिए था। उन्होंने कहा कि नया जमाना आ गया है और वक़्फ़ के नियम कानून नये होने चाहिए। हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को इस दिशा में जागरूकता फैलानी होगी।

2. **प्रो. शाहिद अख्तर(राष्ट्रीय संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच)-** प्रो शाहिद अख्तर ने बोर्ड में वर्तमान में जिस तरह से धांधली और माफियाओं का कब्ज़ा है उस पर बात करते हुए कहा कि बोर्ड की संरचना में बदलाव होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी तरह के आय और व्यय को सार्वजनिक किया जाना चाहिए इस हेतु ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के संशोधन का स्वागत किया और इसे वक्फ़ बोर्ड के कार्यप्रणाली में सुधार का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया।

muslim rashtriya manch

3. **फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ (विश्व शांति परिषद के अध्यक्ष)::**फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने कहा कि हम लोग कब तक इस स्वयंभू तथाकथित सेकुलर पार्टियों से गुमराह होते रहेंगे, ये लोग 75 सालों से जाल फेंक- फेंककर फसाते रहें हैं, गुमराह करते हैं गलत रास्ते पर चलने को मजबूर करते हैं, आख़िर एक सियासी पार्टी अवाम और देश की हुकूमत के लिए होती है वह बहकाने के लिए नहीं होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि जिनको हम अपना समझते हैं जिनको हम सेकुलर पार्टी के नाम से जानते हैं उन्होंने 75 साल से हमें सिर्फ इस्लाम और मुसलमान के नाम पर भडकाया है, ठगा है, बहकाया है, जाल में फंसाया है और वोट लिया है । वक़्फ़ बिल जगदंबिका पाल के नेतृत्व में रखा गया है और इसमें विपक्षी पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेकुलर पार्टियों ने हमेशा वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुसलमानों के अधिकारों की बात को गलत तरीके से पेश किया है। पुराने वक़्फ़ कानून में भी महिलाओं और गैर-मुसलमानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। फिर भी इस बिल को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। उन्होंने सर्वे कमिश्नर की जगह अब जिला कलेक्टर को वक़्फ़बोर्ड की संपत्तियों की मान्यता देने के अधिकार की तारीफ की। उन्होंने कहां कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को इस कानून के तहत वक़्फ़ बोर्ड में जगह दी जा रही है बहुत अच्छी बात है। हिन्दु संपत्ति व अरबों में हिन्दुओं का धन(चढावा) हमें मंजूर है परंतु फिर हिन्दु को कमेटी में लेने में नफ़रत व भय क्यों है? यह इस्लाम का कौन सा चेहरा है? हमारी गंगा जमुना तहजीब में हम सब अपनी पूरी जिंदगी इंसान बनकर बिताने की बात करते हैं तो फिर हमारे बोर्ड में हमारी काउंसिलों में और हमारी दूसरी संस्थाओं में गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल होने चाहिए और हैरत की बात यह है कि पुराने वाले कानून में भी कहीं नहीं लिखा की गैर मुस्लिम हजरतवक़्फ़बोर्ड या काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकते हैं तो फिर प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है?

4. **फ़िरोज़ बख्त (पूर्व चांसलर, MANUU हैदराबाद):** अगर बीजेपी सरकार और आरएसएस कोई अच्छा काम करना चाहती है तो मुसलमानों व विपक्षी दल तुरंत विरोध करते हुए इस्लाम व मुलसमान ख़तरें में है ऐसा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ना तो मैं बीजेपी का मेंबर हूं ना आरएसएस का, लेकिन ये लोग कोई चीज अच्छी करते हैं तो मैं इनके साथ रहता हूं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो मुसलमानों को उसका स्वागत करना चाहिए। इस सरकार के ख़िलाफ मुसलमानों के बीच एक टीम है जो लगातार काम कर रही और ये वही लोग हैं जिन्होंने आरएसएस या बीजेपी के ख़िलाफ आपके ज़हन में

muslim rashtriya manch

ज़हर भर रखा है। इस विरोधी टीम ने पहले आपको 370 के विरोध में उकसाया फिर तीन तलाक के लिए उकसाया, फिर सीएए के विरोध में उकसाया और अब वक़्फ बोर्ड के लिए उकसा रही है। सरकार तथा बिल ना तो आपकी मस्जिद छिनेगा, ना खानगाह छिनेगा, ना मदरसे छीने जाएंगे ना ही कब्रिस्तान आदि छीने जायेगें। वक्ता ने वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों की सही उपयोगिता पर जोर दिया और वक़्फ़ के पैसे से अपनी पढ़ाई का अनुभव साझा किया। उन्होंने नई समितियों के गठन को समर्थन देने की बात भी की और इस बात पर जोर दिया कि वक़्फ़ पर माफिया का कब्ज़ा हटाना चाहिए और संपत्ति का सही इस्तेमाल होना चाहिए।

5. **मौलाना सैयद इरफान कछोछवी :**सैयद इरफान कछोछवी जी ने कहा कि इस संगोष्ठी में शामिल होना इबादत के बराबर है। उन्होंने कहा कि गीता और कुरान जहां एक साथ पढी और बोली जाती है ऐसा देश पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, जहां सभी मज़हब के लोग एक साथ बैठकर आपसी भाईचारें में काम करते हैं, और ऐसा देश सिर्फ हमारा हिन्दुस्थान देश है। वक़्फ़ की संपत्तियों के लिए हिसाब देने की बात की और वक़्फ़ बिल के खिलाफ किसी भी प्रकार की डरावनी बातों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ का उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की भलाई करना था, लेकिन इस बोर्ड पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्ज़ा हो गया है और भलाई सिर्फ उनके और उनके चहेतों के लिए ही रह गई है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ने को ही इबादत कहा जाए जरूरी नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ ही किया जाए तो वही ईश्वर की इबादत है ऐसा नहीं है, राष्ट्र की तमाम चीजों को बचाना और सही जगह लगाना, यह भी एक इबादत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माननीय इंद्रेश जी भाईसाब के साथ मिलकर हमने तीन तलाक और 370 के विरूद्ध लडाई लड़ी, आज इस जगह इकट्ठा होकर हमें एक बार फिर से देश के लिए, वतन के लिए हिन्दुस्थानी मुसलमानों को खडा होना है।

6. **अबू बकरनकवी(पूर्व चैयरमेन राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड):** अबू बकर जी ने कहा कि अब समय आ गया है माफिया के क़ब्ज़े की जमीन छुड़ाने का। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिलों का इस्लाम व मुसलमान की तरक्की व रोशनी के दुश्मनों ने विरोध किया है, लेकिन आम तौर पर मुसलमानों को इस बिल से फायदा ही होगा। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात करते हुए कहा, इससे वक़्फ़ की संपत्तियों के सही इस्तेमाल का रास्ता खुलेगा।

muslim rashtriya manch

7. **एडवोकेट सिराज कुरैशी :**एडवोकेट सिराज कुरैशी जी ने अपने भाषण में कहा कि इस अमेंडमेंट बिल का प्रस्तावित नाम है "यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट 1995"। यह नाम बहुत ही स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है। पहले के "द बफ एक्ट 1985" के मुकाबले, यह नया नाम ज्यादा स्पष्टता प्रदान करता है। यह एक्ट मुसलमानों और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यह इस नाम में ही छिपा है। इस एक्ट के माध्यम से वक़्फ़ की संपत्तियों, जैसे मस्जिदें, दरगाहों, और खानकाहों, को एक बेहतर प्रबंधन व्यवस्था में लाया जाएगा। इससे वक़्फ़ की संपत्तियों का प्रबंधन सुधरेगा और उनकी हालत में सुधार होगा। एक्ट का उद्देश्य वक़्फ़ की संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है, ताकि वक़्फ़ का उपयोग समाज के वेलफेयर के लिए किया जा सके। इससे वक़्फ़ के कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। एक्ट के तहत वक़्फ़ की संपत्तियों का विकास होगा, जिससे मुसलमानों और पूरे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं द्वारा इस बिल के विरोध के पीछे कुछ गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। इस बिल की जानकारी और इसके लाभों को लेकर कुछ गलतफहमियां फैल रही हैं। हमें यह बताना होगा कि यह बिल मुसलमानों के लिए और पूरे देश के लिए कितना फायदेमंद है। मैंने अपने लॉ करियर में कई मामलों का सामना किया है और कई बार देखा है कि वक़्फ़ की संपत्तियों के प्रबंधन में बहुत सी समस्याएं आई हैं। पहले के कानूनों में न्याय की कमी थी और वक़्फ़ के मामलों में पारदर्शिता का अभाव था। इस बिल के आने से हमें उम्मीद है कि इन समस्याओं का समाधान होगा और वक़्फ़ के प्रबंधन में सुधार होगा।

8. **प्रोफेसर हनीफ (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी):** प्रोफेसर हनीफ ने वर्तमान वक़्फ़ एक्ट की अच्छाइयों पर चर्चा की और मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद बोर्ड के फैसलों के विरूद्ध हाईकोर्ट में जाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गुलामी, भ्रष्टाचार (माफिया) और दहशत से मुक्ति मिलेगी और यही वो लोग नहीं चाहते, जिनके कब्ज़े में जमीनें हैं।

9. **कारी अबरार जमाल:** कारी अबरार जमाल ने नये वक़्फ़ बिल के समर्थन में अपनी बात रखी और वक़्फ़ की संपत्तियों में हुए भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने वक़्फ़ के प्रति सही दिशा अपनाने

muslim rashtriya manch

की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ का मतलब शोषण या कब्ज़ा करना नहीं है बल्कि वेलफेयर पर ध्यान देना है। हमें नेक और अच्छे वक़्फ़ की जरूरत है, पर आज वक्फ़ की यह छवि नहीं हैं।

10. **मौलाना कौकब मुज्तबा:** मौलाना कौकब मुज्तबा जी ने वर्तमान वक़्फ़ बिल के खिलाफ मौजूदा प्रतिरोध के बारे में बताया कि मोदी सरकार मुसलमान संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लेगी यह सरासर झूठ है बल्कि मोदी सरकार तो पारदर्शी व्यवस्था करना चाहती है। और मुसलमानों से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हम हमेशा बीजेपी और आरएसएस की मुखालफत क्यों करते हैं, और जब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। आज हम मुसलमानों में ही (सियासी और मजहबी) नेता हैं जो मुसलमानों के वेलफेयर के दुश्मन हैं। उनके ही कब्ज़े हैं, और वे ही भड़का रहे हैं। मुसलमान को अपने अंदर के दुश्मन को जानना चाहिए।

11. **सूफी बाबा ज़ियारत अली शाह मलंग:** सूफी शाह मलंग बाबा ने देशभक्ति की भावना से अपने वक्तव्य की शुरुआत की। उन्होंने वक़्फ़ के नाम पर माफिया की उपस्थिति की आलोचना की और नए बिल के समर्थन की आवश्यकता जताई। सूफी शाह मलंग इस्लामिक कट्टरता का विरोधी है तथा राम रहीम को मानने वाला है। धूनी रमाकर, तप करके लोगों की भलाई करता है। इसलिए इसके लिए अलग वक़्फ़ बोर्ड होना चाहिए। हम आज के कांग्रेसी वक्फ़ बोर्ड से बहुत पीड़ित और प्रताड़ित हैं।

12. **डॉ. शालिनी अली**(राष्ट्रीय संयोजिका, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच): वक़्फ़ बोर्ड बिल संशोधन का समर्थन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार होगा। संशोधन से वक़्फ़ बोर्डों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वक़्फ़ संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा। इससे न केवल वक़्फ़ संपत्तियों की रक्षा होगी, बल्कि उनका सही ढंग से विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। महिला तालीम, तरक्क़ी के लिए तथा इस्लाम के लिए ज़रूरी है। वक़्फ़ बोर्ड में औरतों की भागेदारी हो। इस्लाम मां के कदमों में ज़न्नत को मानता है, तलाक ख़ुदा (अल्लाह) को सबसे ज्यादा नापसंद है।

13. **डॉ. शाइस्ता समी**(असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय): भारत में वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है, जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किए गए दान की रक्षा करता है। यह विधेयक वक़्फ़

muslim rashtriya manch

संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके दुरुपयोग और अनधिकृत हस्तांतरण को रोका जा सके। यह संसोधन विधेयक वक़्फ़ संपत्तियों के सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोग को प्रोत्साहित करता है, और विवादों के निष्पक्ष समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

14. **डॉ. शादाब तबस्सुम (**असिस्टेंट प्रोफेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया): वक़्फ़ संशोधन बिल 2024 एक महत्वपूर्ण कदम है जो वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाएगा। यह विधेयक संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाएगा। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और गरीबों, बच्चों, विधवाओं को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेगा। इसके आलावा वक़्फ़ बोर्ड में न्याय ना मिलने पर हाईकोर्ट में जाना यह इन्साफ़ के लिए ज़रूरी क़दम उठाया गया है जो कि क़ाबिल-ए-तारीफ़ है।

15. **शमीम बानो**(कटनी, मध्य प्रदेश): मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों के लेखा-जोखा में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और मुस्लिम समुदाय को इस जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, गरीब व्यक्तियों के मामलों का स्थानीय न्यायालय में निपटारा किया जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वक़्फ़ संपत्तियों की आय को गरीबों, यतीमों, विधवाओं और चिकित्सा पर खर्च किया जाए। महिलाओं की वक़्फ़ बोर्ड में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किराएदारी में पारदर्शिता लाई जाए और बोर्ड के कर्मचारियों की लूटखसोट पर नियंत्रण रखा जाए। लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्यों की निरंतरता पर भी निगरानी रखी जाए। इन सुधारों से वक़्फ़ बोर्ड की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार होगा। हम नये संशोधन बिल का समर्थन करते हैं।

16. **डॉ. अनवर जहां**(सहायक प्राध्यापक, रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय): नए अधिनियम को एकीकृत वक़्फ़ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के रूप में जाना जाएगा, जो वक़्फ़ बोर्ड के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह अधिनियम वक़्फ़ संपत्तियों के विवादों से बचने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करता है और सुनिश्चित करता है कि केवल संपत्ति के वैध मालिक ही वक़्फ़ बना सकें। जिला कलेक्टर द्वारा तय किया जाएगा कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या सरकारी जमीन, और उनका निर्णय अंतिम होगा। मौखिक घोषणाओं के आधार पर

muslim rashtriya manch

संपत्तियों को वक़्फ़ मानने की अनुमति नहीं दी जाएगी; वैध वक़्फ़नामा के बिना संपत्तियाँ संदिग्ध मानी जाएँगी और जिला कलेक्टर द्वारा अंतिम निर्णय तक निष्क्रिय रहेंगी। केंद्र सरकार को वक़्फ़ संपत्तियों के ऑडिट का आदेश देने का अधिकार होगा, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के माध्यम से होगा। प्रस्तावित संशोधन वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अनुमति भी देगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

17. **डॉ. इंद्रेश कुमार जी (मार्गदर्शक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच):** डॉ. इंद्रेश कुमार जी *ने विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए वक़्फ़ के इतिहास को समझाया। उन्होंने वक़्फ़ बोर्ड की वर्तमान स्थिति और जरूरतों पर चर्चा की और एकता के साथ मुस्लिम समाज सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।*

वक़्फ़ बोर्ड पर अपनी बात रखते हुए माननीय इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि मुल्क के नसीब में अलग-अलग चीजें होती हैं । सऊदी में पाकिस्तानी कहोगे तो तलाशी होगी,भारतीय कहोगे तो तलाशी नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के पश्चात् रांची में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी सभा थी मैंने वहां आए हुए मुसलमान से पूछा कि आप लोग खुदा की मानते हो? या नेता की मानते हो?, सबने कहा खुदा की। वहां कुछ लोग दूसरी और विरोधी विचारधारा के भी आए थे, मेरी बैठकों में बहुत लोग अक्सर इसलिए आते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि आख़िर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों में होता क्या है? जो कि स्वागत योग्य है। तो मैंने उस बैठक में उनको भी शामिल करके कहा कि जिसको आपने (INDI गठबंधन को) मतदान किया, उसको ख़ुदा ने सत्ता नहीं दी। जिसको आपने (BJP-NDA गठबंधन को) मतदान नहीं किया उसको खुदा ने सत्ता दी। कौन बड़ा हुआ, किसकी मानी खुदा या नेता? सभी मुस्कुरायें, तालियाँ बजी और उन्होंने ने आगे कहा कि आगे जीवन में किसकी मानोगे? सभी ने बुलंद आवाज़ में कहा "ख़ुदा" की।

अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने एक प्रश्न सबके बीच में रखा कि इस दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान हैं उनकी पहचान उनके वतन से ही होती है। ईरान का मुसलमान ईरानी होता है, सऊदी का मुसलमान सऊदी होता है, यहां तक पाकिस्तान का मुसलमान भी पाकिस्तानी कहलाता है लेकिन हिन्दुस्तान के कुछ कट्टरपंथी हिन्दुस्थानी मुसलमानों को आखिर क्यों सिर्फ मुसलमान ही कहलाना पसंद आता है? और यही वो मुसलमान हैं जो मुसलमानों को हिन्दुस्थानी नहीं होने देना चाहता है। उन्हें भड़काकर, बरगलाकर, उकसाकर जेहादी बनने पर मजबूर करते रहते हैं। हमें ऐसे षणयंत्रकारी मुसलमानों

muslim rashtriya manch

की सोच से बचकर रहना होगा। और हम पहले हिन्दुस्थानी हैं बाद में मुसलमान हैं। इसलिए हममें से प्रत्येक पहले हिन्दुस्थानी, फिर जाति, मज़हब, भाषा, दल और क्षेत्र में आता है।

अपनी बात में आगे उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब भारत से जा रहे थे तो उन्होंने इस देश को धर्म के नाम पर तीन हिस्सों में बांटने की कोशिश की मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम देश, ईसाईयों के लिए एक अलग क्रिश्चिन देश और हिन्दुओं के लिए एक अलग हिन्दू देश। इसमें जिन्ना व कांग्रेस की मदद से वो देश को दो हिस्सों में बांटने में सफल हो गए। ढ़ाई करोड़ लोग उजड़े। बारह लाख के आसपास क़त्ल हुए और सदा के लिए हिन्दु-मुस्लिम जख़्म से एक दूसरे के बैरी बन गए, हमें इस ख़ाई को भी पाटना है।

उन्होंने आगे कहा एक असलियत है कि वक़्फ़ को चलाने वाले मुसलमान, नुकसान उठाने वाले मुसलमान, न्याय के लिए भटकने वाले मुसलमान, बेचने वाले भी मुसलमान है। आज जिसके पेट में दर्द हो रहा है, वे सभी माफिया नेताओं के रूप में चंद सियासी व मज़हबी मुसलमान ही हैं जो इस्लाम के नाम पर भडकाने व लड़वाने का काम करते हैं। जब भी मुसलमानों के सामने कुछ अच्छा होता है तो वे उसके ख़िलाफ कर दिए जाते हैं। मुसलमान 370 के ख़िलाफ थे, सी ए ए-एन आर सी के ख़िलाफ थे, ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ थे, अयोध्या मंदिर के ख़िलाफ थे। क्या मुसलमान का काम सिर्फ मुख़ालफ़त का रह गया है? क्या इंसाफ व इंसानियत के साथ-साथ हममें से सभी वतनीयत और भाई चारा विरोधी हो गये हैं। *''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ''* पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, लेकिन जब मोदीजी ने इसे शुरू कर किया तब मुसलमान इसकी मुख़ालफ़त में हो गए। स्वच्छ भारत अभियान हज़रत मुस्तफ़ा का अभियान था लेकिन मोदीजी ने कह दिया तो मुसलमान उसके मुख़ालिफ़ हो गए।

14 वीं सदी में वक़्फ़ पहली बार भारत आया, 18 वीं सदी में धर्म की राजनीति चल रही थी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, क्रिश्चिनस्तान की बात हो रही थी। 1913 में वक़्फ़ एक्ट आया। विभाजन के बाद पंडित नेहरू फिर नरसिम्हा राव सरकार ने इसके बाद मनमोहन सरकार ने वक़्फ़ एक्ट में कुछ और चीजें जोडी। इस समय देश में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक़्फ़ बोर्ड हैं जो 9.4 लाख एकड़ के आसपास की जमीन की देखभाल करते हैं, जिनकी कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ की है। जो उन्हें रेलवे और रक्षा मंत्रालयों के बाद रियल एस्टेट का तीसरा सबसे बड़ा मालिक बनाता है। सबसे बडी बात तो यह कि इतने बडे कीमत की संपत्तियों की देखभाल सिर्फ 200 के आसपास के लोग करते हैं, और यही कारण है कि इस समय अधिकतर वक़्फ़ बोर्ड बेईमानी का अड्डा बने हुए हैं। उन्होंने ने आगे अपनी बात को रखते हुए कहा कि

muslim rashtriya manch

यहां यह बात सोचनी है कि हमें ख़ुदा का रास्ता चुनना है या नेता का। जब इबादत ही करनी है तो ख़ुदा के ख़िलाफ़ क्यों करें। नेक बनकर इबादत व कर्म करने पर ही हमें ज़न्नत मिलेगी।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि जब सब धर्मो (मज़हबो) के संपत्ति के झगड़े सामान्य न्याय पालिका में निपट रहे हैं, तो फिर एक मज़हब के लिए अलग से व्यवस्था क्यों? एक मज़हब की आज की व्यवस्था में न्याय मिलना मंहगा भी है तथा समय की भी बर्बादी के साथ –साथ वहां पर बैठे लोगों में मनमर्जी करने और कब्ज़े करने वाली प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। संशोधन के विरोधियों से सवाल है कि जब हम रोजमर्रा के सुख दुख, मुकदमों आदि में मज़हब, जाति नहीं देखते और ज़िन्दगीं सुकून और सद्भाव से चल रही है तो फिर वक़्फ़ में हिन्दुओं के प्रति नफ़रत क्यों?

उन्होंने कहा कि वक़्फ़ एक्ट में सुधार के लिए मुस्लिम संगठनों ने हजारों एप्लीकेशन केंद्र सरकार को भेजी हैं और आगे भी भेजने का सिलसिला जारी रहेगा। यह एक सुधारवादी आंदोलन है। सुधारवादी मुसलमानों की लड़ाई केंद्र और भाजपा से नहीं बल्कि वक़्फ़ माफ़िया और वक़्फ़ बोर्ड की नाकामी से है। मुसलमानों का कहना है कि हमें ऐसा कानून चाहिए जिसमें वक़्फ़ संपत्तियां सुरक्षित रहें। वक़्फ़ वेलफेयर का काम करे, वक़्फ़ पारदर्शी हो। माफियों के विरूद्ध न्याय मिलें, जल्दी व सस्ता न्याय मिलें। वक़्फ़ फ़ैसले से ऊपर जाने का रास्ता हो। वक़्फ़ संपत्तियों तथा चढावें में हिन्दुओं की भागीदारी है इसलिए हिन्दुओं को भी कमेटी में जगह मिलें। मां के कदमों में जन्नत है, औरतों की भागीदारी वक़्फ़ में सुनिश्चित हो। कमज़ोर फ़िरकों को भी भागीदारी मिलें। जैसे बोहरा, आगाखानी, सूफी शाह मलंग, पसमींदा, शिया जियारतों आदि सभी फिरकों के लिए अलग वक़्फ़ बोर्ड की बात है। क्या वक़्फ़ करने वाले केवल मुस्लिम ही होना चाहिए? क्या अन्य धर्म वालों को वक़्फ़ नहीं करना चाहिए? वक़्फ़ करने वाला बालिग होना ही चाहिए। इस व्यवस्था को कैसे लायेगें? वक़्फ़ संपत्ति व आय के रख-रखाव की पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? ऐसे अनेकों सुधारों के साथ यह बिल मुसलमान वेलफेयर और डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है।

समापन:

प्रो. शाहिद अख़्तर

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रो. शाहिद अख़्तर ने सभी वक्ताओं का शुक्रिया अदा किया और लोगों को बिल के बारे में जागरूक करने के लिए संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित करने की अपील की। उन्होंने वक़्फ़ संपत्ति

muslim rashtriya manch

के सही उपयोग के महत्व पर ज़ोर दिया और सभी को इसके सही उपयोग के प्रति सचेत रहने की बात की। इसके साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ बिल के समर्थन में कार्य कर रहे समूहों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यशाला में मंच संचालन डॉ. शालिनी अली द्वारा किया गया।

वक़्फ़ बोर्ड की धांधलियां

परिचय:वक़्फ़ बोर्ड भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह बोर्ड वक़्फ़ संपत्तियों के सही उपयोग और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य गरीबों, बेवाओं, और जरूरतमंदों की सहायता करना है। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में वक़्फ़ बोर्ड की धांधली और उसके प्रबंधन की समस्याओं को लेकर कई आरोप सामने आए हैं।

पुराने वक़्फ़ बोर्ड व अधिनियम की कमियाँ(यानी दोष):

1. **धन की हेराफेरी और भ्रष्टाचार:**वक़्फ़ संपत्तियों के सही उपयोग में असफलता की एक बड़ी वजह धन की हेराफेरी और भ्रष्टाचार है। कई रिपोर्टों के अनुसार, वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी वक़्फ़ संपत्तियों की बिक्री, लीज़ या किराया में धांधली कर रहे हैं। संपत्तियों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर किराए पर देने, बेचे जाने या गलत लोगों को सौंपे जाने की घटनाएं सामने आई हैं।

2. **कानूनी और प्रशासनिक समस्याएँ:**वक़्फ़ बोर्ड की प्रशासनिक और कानूनी समस्याएँ भी इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। वक़्फ़ संपत्तियों के रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों की कमी या उनकी अद्यतन जानकारी की अनुपलब्धता के कारण अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, वक़्फ़ संपत्तियों की कानूनी स्थिति को लेकर अस्पष्टता भी समस्याएँ उत्पन्न करती है।

3. **संपत्तियों की देखभाल एवं प्रबंधन की विफलताएँ:**वक़्फ़ बोर्ड के प्रबंधन की विफलताएँ भी एक प्रमुख समस्या हैं। कई मामलों में, वक़्फ़ संपत्तियों की देखभाल और उनके उचित उपयोग के लिए कोई स्पष्ट नीति या योजना नहीं होती। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियाँ गैरकानूनी कब्जे में चली जाती हैं या उनका उपयोग सही तरीके से नहीं होता।

muslim rashtriya manch

4. **पारदर्शिता की कमी**: वक़्फ़ बोर्ड में पारदर्शिता की भारी कमी है। इसे दूर करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जो वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके उपयोग पर निगरानी रख सके।

5. **महिलाओं और कमजोर वर्गों की अनदेखी**: वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है जिसके कारण कई बार गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं हो पता।
6. **धार्मिक आधार पर भेदभाव**: वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव होता है। वक्फ़ में अन्य धर्मों के लोगों को समिति में जगह नहीं दी जाती है।
7. **तेजी से न्याय और समाधान में कमी**: वक़्फ़ बोर्ड से संबंधित मुद्दों का न्यायपालिका में समय पर निपटारा होना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली का फायदा सभी को मिल सके। इंद्रेश जी ने कहा कि मुसलमानों का भी यह कहना है कि उन्हें ऐसा कानून चाहिए जिसमें वक़्फ़ संपत्तियां सुरक्षित रहें, और जल्दी व सस्ता न्याय मिले।
8. **माफियाओं का बढ़ता हस्तक्षेप समाप्त हो**: वक़्फ़ बोर्ड में माफ़ियाओं का हस्तक्षेप एक बड़ा मुद्दा है।
9. **संबंधित पक्षों के बीच विवाद:**वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच विवाद भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच संपत्तियों के अधिकार को लेकर झगड़े अक्सर वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन विवादों के समाधान के लिए प्रभावी और न्यायपूर्ण तंत्र की कमी है।

नया संशोधन बिल विकास की गांरटी व रोशनी:

1. **पारदर्शिता और जवाबदेही:**वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक़्फ़ संपत्तियों के लेन-देन और प्रबंधन में किसी प्रकार की धांधली न हो और सभी गतिविधियों का ऑडिट नियमित रूप से किया जाए।

2. **कानूनी सुधार:**वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए कानून में सुधार की आवश्यकता है। वक़्फ़ बोर्ड के कार्यों को कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत बनाने और विवादों को सुलझाने के लिए एक सुसंगठित कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

muslim rashtriya manch

3. **प्रशासनिक सुधार:**वक़्फ़ बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि वक़्फ़ संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण को सुधारना, और वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट नीतियों और दिशानिर्देश स्थापित करना शामिल है।

4. **समाज में जागरूकता और भागीदारी:**समाज में वक़्फ़ बोर्ड के कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज के विभिन्न वर्गों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। इससे वक़्फ़ बोर्ड की गतिविधियों पर समाज की निगरानी बढ़ेगी और धांधली की संभावना कम होगी।

5. **महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो-**वक़्फ़ बोर्ड के प्रबंधन और संचालन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से वक़्फ़ बोर्ड की कार्यप्रणाली में विविध दृष्टिकोण और विचारधारा का समावेश होगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी बनेगी। इसके अलावा, महिलाओं की भागीदारी से वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा, क्योंकि महिलाएं अक्सर पारिवारिक और सामाजिक कल्याण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इसलिए, वक़्फ़ बोर्ड की समितियों और कार्यकारी निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी विशेष दृष्टि और अनुभव के साथ बोर्ड की गतिविधियों में योगदान कर सकें और वक़्फ़ संपत्तियों के उचित और न्यायपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कर सकें। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल वक़्फ़ बोर्ड के कार्यों की गुणवत्तामें सुधार करेगी, बल्कि समाज में समानता और प्रगतिशीलता को भी बढ़ावा देगी।

6. वक्फ़ की ज़मीनों का सर्वे जिला कलेक्टर या डिप्टी कमीश्नर करें.

7. वक्फ़ में ज़मीन दान करने वाले व्यक्ति को लिखित में घोषणा करनी होगी।

8. वक्फ़ संपत्तियों की न्यायिक जांच की अनुमति दी जाए।

9. वक़्फ़ संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टर के पास उनका अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए।

10. **वक़्फ़ बोर्ड की चुनाव पद्धति में पारदर्शिता हो।**

11. **वक़्फ़ बोर्ड की सालाना रिपोर्ट बनवाई जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए।**

muslim rashtriya manch

विधेयक के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ कार्य कर रहे तत्कालीन समूहों/सदस्यों की जानकारी

नाम	पद/संस्थान	पता/स्थायी पता	मोबाइल नंबर	ईमेल
जमीअत हिमायतुल इस्लाम समुह				
क़ारी अबरार जमाल	अध्यक्ष जमीअत हिमायतुल इस्लाम	देहरादून चोंक जनपद सहारनपुर	9068935663	
एम ए नजीब	अध्यक्ष साउथ इंडिया जमीअत हिमायतुल इस्लाम	हैदराबाद (तेलंगाना)	70328 34400	
क़ारी नसीम इमाम	अध्यक्ष जमीअत हिमायतुल इस्लाम हरियाणा प्रदेश	रसोई सोनिपत	89302 67623	
हाफ़िज़ शहबाज़ शेख़	सचिव जमीअत हिमायतुल इस्लाम	केदारपुर जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश	9084188087	
मोलाना मेराज क़ासमी	अध्यक्ष जमीअत हिमायतुल इस्लाम उत्तर प्रदेश	जामिया मेहमूदिया खिवाई मेरठ	9719853327	
सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ				
ताहिर शाह	राष्ट्रीय संयोजक सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ	Type 2 P.H.C colony Mahatma gandhi hospital chinhat Lucknow (UP)	8299814580	
सूफी बाबा जियारत अली शाह मलंग	सदस्य सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ	खानकाह बारा तकिया कानपुर देहात मकनपुर उप्र	9935606153	
बाबा महमूद अली शाह मलंग	सदस्य सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ	दरगाह ढकनी शरीफ बरेली उप्र	9719239212	
वसीम अली शाह	सदस्य सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ	उधारी अमरोहा उप्र	9410010658	
इश्तियाक अल्वी शाह	प्रधान सूफ़ी शाह मलंग प्रकोष्ठ	मुसेली पीलीभीत उप्र	9759037474	
छात्र एवं मदरसा प्रकोष्ठ				
Dr. Imran Chaudhry	Convener, Students & Madarsa cell Muslim Rashtriye Manch		9891017455	imran.jamia@yahoo.co.in
Hafiz Mohammad Sabreen	Convener, Muslim Rashtriye Manch Delhi State		9013905786	

muslim rashtriya manch

Dr. Mohammad Khalid			8948311764	
Mufti Abdul Sami			8920276482	
Ashima Khan Advocate			8700707180	
ADAM Ngo				
Khurshid Rajaka	President ADAM Ngo	Vill-Rajaka, PO-Nagina Distt - Nuh	9810602831	
Hakeem Aas Mohd				
Master Rafiqe Ahmed				
Sahabuddin Khan				
Shokeen Ahmed				
Bharat First				
Shiraz Quraishi LLM, Advocate			9893168910	
Syed Rashid Ali			98114 11988	
Javed khan Said			98736 52326	
Saif Quraishi			9968055067	
Independent Journalist				
Shahid Sayeed	Independent Journalist, Former Advisor / Head Doordarshan		956076566	
Jawed Rahmani	Editor, Urdu Daily - Saebaan			
Khalid Wasim	Editor, Urdu Daily - Sach ki Awaaz			
Farzan Quraishi	Bureau Chief, Urdu Daily - Inquilab			
Najeeb Malik	TV Journalist			
Imran Kaleem	Bureau Chief, Hindi Daily - Pahli Khabar			

muslim rashtriya manch

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा समूह				
Mohammad Faiz Khan	National Convener Muslim Gausewa Samiti	Raipur Chhattisgarh	7835814510	
Altamash Bihari	National President OSCORP NGO	Bhagalpur Bihar	98356 12377	
Dildar Hussain Beg			93503 58011	
Advocate Naushina Ali			78699 10176	
Mohammad Bilal Shabga	National President Bhaichara Mission		90139 27786	
मेडिकल रिलीफ सोसायटी				
Mohammad Naeem Silawat	सचिव, सिलावट मेडिकल रिलीफ सोसायटी जोधपुर	डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलोनी पांचवी रोड, छोटी ईदगाह, जोधपुर, राजस्थान	9828029808	
Rais Ahmed	सचिव, ग्लोबल पर मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर	ढींगला, मानटाउन, सवाई माधोपुर राजस्थान	9414287450	
Irshad Ali	पूर्व उपाध्यक्ष, वक़्फ़ बोर्ड कोटा, राजस्थान	हाउस नंबर 26 27 श्री आवास कॉलोनी नियर शुभ सवेरा कॉलोनी, रामपुरा कोटा	9951 111 333	
Ayub Rangrej	पूर्व जिला अध्यक्ष वक़्फ़ बोर्ड भीलवाड़ा राजस्थान	भोमियों का रावला, गुलमंडी, भीलवाड़ा राजस्थान	8949 1451 79	
पूर्व वक़्फ़ बोर्ड अधिकारी समहू राजस्थान				
Syed Abu Bakar Naqvi	पूर्व अध्यक्ष वक़्फ़ बोर्ड, राजस्थान	गुलजारबाग टोंक राजस्थान	9950242786	
Abid Ali Arabi	प्रदेश कोषाध्यक्ष मुस्लिम महासभा संस्थान राजस्थान	तालकटोरा राजकीय सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे टोंक राजस्थान	7014961252	
Abdul Aziz	जिला अध्यक्ष मुस्लिम महासभा जयपुर राजस्थान	खो नागोरीयान जयपुर राजस्थान	9929630635	
Ayub Qaimkhani	पूर्व जिला अध्यक्ष, वक़्फ़ बोर्ड बीकानेर राजस्थान	रेलवे फाटक, चौखूंटी, बीकानेर, राजस्थान	9352 7700 46	
Mohammad Islam	पूर्व उपाध्यक्ष वक़्फ़ बोर्ड टोंक एवं	सैयद कॉलोनी टोंक राजस्थान	9079 38 3072	

muslim rashtriya manch

	प्रदेश पदाधिकारी मुस्लिम महासभा संस्थान, राजस्थान			
जाहिदा वेलफेयर सोसाइटी, राजस्थान				
Reshma Hussain	अध्यक्ष जाहिदा वेलफेयर सोसाइटी	ए 144 शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान	9351 55 0348	
Saroj Khan	सचिव, सेंटर फॉर वुमन राइट्स एंड सोशल वेलफेयर जयपुर	S20 शांति नगर हसनपुरा एनबीसी रोड जयपुर	9414 25 3482	
Shabnam Faruqui	अध्यक्ष अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर	फारूकी कंपलेक्स जीटी रोड धौलपुर राजस्थान	9461 69 7322	
Rubina Sheikh	अध्यक्ष मुस्लिम सदभावना समिति भीलवाड़ा	83 सदर बाजार गोल चौराहा भीलवाड़ा राजस्थान	9828 22 3353	
Anam Naz	अध्यक्ष नूर इंडिया फाऊंडेशन जयपुर	3941 नियर राव जी का रास्ता दरबार स्कूल एम डी रोड जयपुर	741299 6109	
Naseem Khan	प्रथम एजुकेशन सोसाइटी जयपुर	मकान नंबर 38 दरबार कॉलोनी ईदगाह जयपुर	8852 994758	
Asif Ali Char				
मुस्लिम सेवा संघ हिंडौन				
Farida Shah	अध्यक्ष, मुस्लिम सेवा संघ हिंडौन सिटी करौली	194 बड़ी बुखार हिंडौन सिटी करौली	96 60 27 1093	
महिला प्रकोष्ठ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच				
Dr. Tasneem Patel	राष्ट्रीय संयोजिका, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला प्रकोष्ठ	4/99 सल्तनत बंगलो Near डी एस पी ई कॉलेज सतारा परिसर बीड़ बाय पास PIN 431010	9423615587	tasneempatel12@gmail.com
Dr. Sameena Pathan	राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला प्रकोष्ठ	27 अंजुमन अपार्टमेंट्स, मस्जिद के पीछे, जामिया नगर नई दिल्ली	9871043456	
मौलाना और धर्मगुरू समूह				
मौलाना कोकब मुजतबा	धर्मगुरू	किबला		
मौलाना फिरोज अब्बास साहब	धर्मगुरू	जिला सम्भल		

muslim rashtriya manch

मौलाना सैय्यद शब्बान अब्बास साहब	धर्मगुरू	जिला बिजनौर		
मौलाना अयाज़ हैदर हुसैनी साहब	धर्मगुरू	जिला शामली		
मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब	धर्मगुरू	बंगाल		
मौलाना मोहम्मद अनवर साहब	धर्मगुरू	काज़ी नगर, शहर दिल्ली		
मौलाना सैय्यद हैदर रज़ा साहब	धर्मगुरू	शेरकोट		
मौलाना मोहम्मद रफी साहब	धर्मगुरू	दिल्ली		
मौलाना रज़ी अब्बास साहब	धर्मगुरू	बुलंद शहर		
मौलाना सैय्यद जावेद साहब	धर्मगुरू	लखनऊ		
मौलाना सैय्यद बिलाल साहब	धर्मगुरू	बुलंद शहर		
मौलाना नबी हैदर साहब	धर्मगुरू	उरमपुर		
मौलाना डॉ. हुसैन महदी साहब	धर्मगुरू	बनारस		
प्रोफेसर जफर मुजतबा साहब	शिक्षक, संस्थान	नौगांव, सतारा		
शिया जगत धर्मगुरू मौलाना कौकब मुजतबा साहब किबला	-	-	-	-
मौलाना फिरोज अब्बास साहब	जिला सम्भल	-	-	-
मौलाना सै0 शबाहत अब्बास साहब	जिला बिजनौर	-	-	-
मौलाना ऐजाज़ हैदर हुसैनी साहब	जिला शामली	-	-	-
मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर	बंगाल	-	-	-

muslim rashtriya manch

साहब				
मौलाना मोहम्मद अनवर साहब	काजिये शहर दिल्ली	-	-	-
मौलाना सै० हैदर रजा साहब	शेरकोट	-	-	-
मौलाना मौहम्मद रफी साहब	दिल्ली	-	-	-
मौलाना रजी अब्बास साहब	बुलंद शहर	-	-	-
मौलाना मौ० जावेद साहब	लखनऊ	-	-	-
मौलाना मौ० बिलाल साहब	बुलन्द शहर	-	-	-
मौलाना नबी हैदर साहब	उस्मांपुर	-	-	-
मौलाना डा० हुसैन महदी साहब	बनारस	-	-	-
मौलाना सै0 मो0 इरफान	चेयरमैन, ख़ानकाहे अशरफिया गुलशने रज़ा	दरगाह किछौछा शरीफ— जिला अ० नगर यू0 पी0	9415524427, 7897954427	-
मौलाना सै0 अब्दुल्लाह	-	-	9415524427, 7705890360	-
मौलाना सै0 उसमान	-	-	-	-
मौलाना जावेद	-	-	-	-
मौलाना अशफाक	-	-	9699603042	-
मौलाना फरहान	-	-	9152710972	-
मौलाना सज्जाद	-	-	9838606498	-
Al Aqsa Sports Educational And Welfare Society Malegaon				
Ansari Jaweed Ahmad Abdul Razzaque			9403590293	**dr.jaweedansari@gmail.com**
Er. Anjum Ansari				
Firoz Qayyum Khan				
Dr Altaf Ansari				
Rizwan Shaukat Shaikh				
Gulshan foundation Mumbai				

muslim rashtriya manch

Irfan ALI Pirjade			**9167239495**	
Jamshed Khan				
Shakil Hindustani				
Juber Sheikh				
Jahangir Khan				
Shahabuddin Shaikh				
वन विहार शिक्षा समिति.				
डॉ. मुनव्वर चौधरी	अध्यक्ष वन विहार शिक्षा समिति	गंगापोल, खाचरियावास हाउस, जयपुर, राजस्थान	894947 1289	
इमरान पठान	अध्यक्ष हाजी शकरवाड ट्रस्ट	ग्राम नरहड़, जिला झुंझुनू, राजस्थान	99 290 84501	
मोइन खान	सचिव बिलाल मस्जिद	न्यू कॉलोनी, खानपुरा, अजमेर	982850 8186	
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मध्य प्रदेश समूह				
Mohammad Farooq Khan	-	14-15, Sharjah Colony, Khajrana, Indore, MP - 452016	98260-13786	fkmp0011@gmail.com
Syed Amjad Ali	-	Jaora, Madhya Pradesh	91790-11501	-
Mansuri Faruk	-	Indore, Madhya Pradesh	98260-35786	-
Shakir Garvi	-	Mandsaur, Madhya Pradesh	79749-37315	-
Shakeel Noorani	-	Mandsaur, Madhya Pradesh	94705-01040	-
Shahid Qureshi	-	Ratlam, Madhya Pradesh	94796-57831	-
Taufiq Ahmed	-	Bhopal, Madhya Pradesh	93003-97063	-
Irshad Khan	-	Indore, Madhya Pradesh	96910-67730	-
Ajju Pathan	-	Indore, Madhya Pradesh	87706-11395	-
Yunus Qureshi	-	Near Airtel Tower, Mohalla Khuthi, Jawahar Nagar, Satna, MP	94251-72858	khizraindustries7886@gmail.com
Hussain Khan	-	Narsinghpur, Madhya Pradesh	98932-93588	-
Rinku Khan	-	Satna, Madhya Pradesh	70004-47358	-

muslim rashtriya manch

Sohail Ali	-	Katni, Madhya Pradesh	97134-49851	-
Shakir Qureshi	-	Jabalpur, Madhya Pradesh	87705-46205	-
Iftekar Kazii	-	Rewa, Madhya Pradesh	97530-11780	-
प्रोफेसर जफर मुजतबा साहब	नौगावां सादात	-	-	-
सैय्यद मंजूर हैदर आदिल साहब	शिक्षक, संस्थान	दिल्ली		
श्री Faiz Ahmad Faiz	National President, Vishwa Shanti Parishad	R-30, Jogabai Extn., Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025	9868 000 999	vishwashantiparishad@gmail.com
Maulana Aijaz Urfi Qasmi	-	-	-	-
Shri SHR Bari	-	-	-	-
Shri Mohd. Shakir Syed	-	-	-	-
Shri Nadeem Ansari	-	-	-	-
Shri Mohd. Murtaza	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच				
श्री डॉ. सलीम राज	पूर्व चेयरमेन, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज	ई-485, समता कॉलोनी, रायपुर (छ0ग0) पिन - 492001	9300370333	
श्री युनूस कुरैशी	पूर्व चेयरमेन, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, अध्यक्ष, वक़्फ़ एवं हज सेवा समिति छत्तीसगढ़	के. के. रोड (राज इंजिनियरिंग वर्क्स के बाजू), रायपुर (छ0ग0) पिन - 492001	9300247124	
श्री रिज़वान पटवा	पूर्व वाईस चेयरमेन, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शिया समाज	मूसा हॉटल के पास मोमिनपारा, रायपुर (छ0ग0) पिन - 492001	8889102555	
श्री शाहिद अहमद खान	सदर मुतवल्ली, इंतेज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद बालोद	मन्नत गारमेन्टस, स्टेट बैंक रोड, बालोद, मु. पो. तह. - जिला बालोद (छ0ग0)	9893810212	

muslim rashtriya manch

श्री फैज़ान सरवर खान	पार्षद, नगर पालिका परिषद, जशपुर, सदर / अध्यक्ष रब्बानी कमेटी	सैनिक कल्याण आफिस के सामने, वार्ड नम्बर - 11, चीर बगीचा, जशपुर नगर (छ0ग0) पिन - 496331	9340532293	
विश्व शान्ति परिषद				
श्री फैज़ अहमद फैज़	राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व शान्ति परिषद (VSP)	R-30, जोगाबाई एक्सटेंशन, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025	9868 000 999	vishwashantiparishad@gmail.com
मौलाना आIjaz उर्फ़ क़ासमी	सदस्य, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल			
श्री SHR बारी	सदस्य, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल			
श्री मोहद. शकीर सैयद	सदस्य, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल			
श्री नदीम अंसारी	सदस्य, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल			
श्री मोहद. मुइर्तज़ा	सदस्य, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल			
Muslim Women Intellectals				
डॉ. शलिनी अली		G 29, निज़ामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली 110013	8745025606	shaliniali310@gmail.com
डॉ. नाहिद ज़फ़र शेख		B-19, सेकंड फ्लोर, निज़ामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली 110013	9822156174	nahidbjp@gmail.com
रोज़िना सुलेमान		B - 42, न्यू सीमा पुरी, दिल्ली - 110095	9654610176	rozina333@gmail.com
शमीम बानो		ईश्वरि पुरा, वार्ड नंबर 24, जामा मस्जिद गली, कटनी, मध्य प्रदेश, पिन - 483501	9893425575	shamimbano652@gmail.com
शाहिदा खातून			9818844291	shahidakhatoon2008@gmail.com
सहायक प्राध्यापक और रिसर्च स्कालर समूह				
डॉ. नसीब अली	असिस्टेंट प्रोफेसर, JNU		9622069794	
डॉ. मोहम्मद अजमल	असिस्टेंट प्रोफेसर, JNJ		9818483985	

muslim rashtriya manch

डॉ. मोहम्मद वसीम	असिस्टेंट प्रोफेसर, DU		9811582007	
डॉ. Md रुख्नुद्दीन	असिस्टेंट प्रोफेसर, DU		9891765225	
डॉ. मारूफ उर रहमान	असिस्टेंट प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया		9873304972	
डॉ. लियाकत अली	नेशनल बुक ट्रस्ट		9682345875	
डॉ. मोहम्मद जलिल इकबाल खांकी	NCERT		9971436958	
मोहम्मद आरिफ	गेस्ट फैकल्टी, जामिया मिलिया इस्लामिया		7897184123	
तारिकुल अब्दीन	रिसर्च स्कॉलर, JNU		7524999326	
नदीम अली	रिसर्च स्कॉलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी		8532039470	
डॉ. फैयाज़ हैदर	असिस्टेंट प्रोफेसर, AMU		8791470053	
डॉ. बशीर शाहीन	असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी		9871148567	
क्रिस्टोफर गुंजन कुजूर	रिसर्च स्कॉलर, DU		9811582007	
Expert of Madarsa Education and Waqf				
Dr. Mohammad Hanif Ahmad	Associate Professor ,Department of Education ,Aligarh Muslim University Aligarh		9908466898	
Dr. MohdShakir	Assistant Professor,Department of Education,Aligarh Muslim University Aligarh			
Dr. Mohammad Imran	Assistant Professor,Department of Education,Aligarh Muslim University Aligarh			
ShriMohammad Maroof	Assistant Professor Mohammad Ali Jauhar University Rampur			
ShriAzhar Ali	College of Teacher Education Sambhal,Maulana Azad National Urdu University			
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय समूह				

muslim rashtriya manch

Prof. Mazhar Asif, JNU			9891508383	
Dr. Alauddin Shah, JNU				
Dr. Shahbaz Amil, JNU				
Dr. Qamar Alam, JNU				
Dr. Masud Alam , JNU				
Karuna Foundation				
Syed Ali Abbas Rizvi			8840610349	
Syed akhlaque Hussain Rizvi(senior journalist)			9415152706	
Md iqbal khan (Advocate)				
Syed Ali Hasan Rizvi (social worker)			97170890204	
Qasim Rumi			9453080000	
kalbe Abid			9450121094	
Shabihul hasan			9839025104	
प्राध्यापक समूह				
Prof. Aquil Ahmad	Ex. Director, National Council for promotion of Urdu language, Ministry of Education, Government of India and Professor in Delhi University		8851448754	aquilahmad2@ gmail. Com
Dr. Nadeem Ahmad	Department of Economic		8826910891	
Mohammad Tariq	Department of Mathematics		7428177121	
Dr. Jawed Alam	Department of Urdu			
Dr. Masoom Alam	Department of History		9899119269	
Dr. Sheza Zaidi	Department of Chemistry		9871204046	
अंजुमन फरजान ए हिंद उत्तर प्रदेश				
हाजी जहीर अहमद	राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजुमन फरजान ए हिंद उत्तर प्रदेश, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा,सदस्य उर्दू अकादमी भाषा विभाग उत्तर प्रदेश		9412136175	

	सरकार			
मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी	राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच,सदस्य उर्दू अकादमी भाषा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार		7520757616	
शाह आलम	उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा		9756100786	
अल्तमश अहमद	राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच		9639732079	
सूफी समशाद मेराजी	दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच		8920622942	
बहार अहमद	उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच		9198821277	
दिलशाद खान	प्रदेश संयोजक भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच (उत्तराखंड)		8053684340	
बिन यामीन	समाजसेवी कार्यकर्ता अंजुमन फरजान ए हिंद		9125177986	
नदीम भारती	समाजसेवी कार्यकर्ता अंजुमन फरजान ए हिंद		9068976085	
पीले शाह बाबा	प्रदेश सह संयोजक भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच		9891592164	
मेहताब खान	भारतीय मुस्लिम पसमांदा मंच प्रदेश मंत्री		9918478910	
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मदरसा छात्र प्रकोष्ठ				
मोहम्मद मज़ाहिर खान	राष्टीय सयोजक		9319883268	
पदम्श्री दिलशाद हुसैन			7906323587	
सरफराज़ अहमद	समाज सेवक		9837002460	
मज़हर नूर	डायरैक्टर लैंड मार्क कॉलेज		9860671917	
ज़हीर् अहमद	मैनेजर एम ऐस कॉलेज		9536192000	

muslim rashtriya manch

विधेयक के समर्थन में आगामी कार्ययोजना

वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं अन्य अनेकों संस्थाओं द्वारा आगामी महीनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और सार्वजनिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। विधेयक को लेकर राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज में व्यापक समर्थन देखा जा रहा है, जो देश की एकता और विकास में मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है।

वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनता जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह पहल विधेयक के प्रति जागरूकता फैलाने और मुस्लिम समाज को इसके लाभों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन कार्यक्रमों, रील्स, लेखों और पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से मुस्लिम समुदाय विधेयक का समर्थन कर रहा है, जो न सिर्फ वक़्फ़ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देश भर में यह भी प्रश्न मुंह खोले खड़ा है कि जब सब धर्मों के विवाद संपत्ति या अन्य एक ही कोर्ट व्यवस्था में निपट रहें तो फिर इस समुदाय के लिए (इस्लाम) विशेष विचाराग्रस्त व्यवस्था क्यों?

1. गोष्ठी/ कांफ्रेंस/ सेमिनार

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और सैंकड़ों/ हजारों मुस्लिम संस्थाओं की ओर से देशभर में विभिन्न कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभर से मुस्लिम व अन्य धर्मों के धर्मगुरू, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, और समाजसेवी हिस्सा लेंगे। इस कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक के फायदों और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना है। कांफ्रेंस में विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श होगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मुस्लिम समाज को इस कानून से क्या लाभ मिल सकते हैं, यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। देश भर में 500 से ज्यादा कांफ्रेंस और सेमिनार के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है।

2. पत्रकार वार्ता एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिबेट में भागीदारी

कांफ्रेंस के साथ-साथ विभिन्न शहरों में पत्रकार वार्ताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधि और विभिन्न मुस्लिम विद्वान इस विधेयक की विशेषताओं को मीडिया के माध्यम से जनता तक

muslim rashtriya manch

पहुंचाएंगे। इन वार्ताओं में वक़्फ़ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार के लिए इस संशोधन की आवश्यकता और उसके दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिबेट में भी सैंकडों महिला- पुरूष विपक्षी दलों व मज़हबी कट्टरपंथियों पर प्रश्नों की बौछार के रूप में हमलावर हो रहे हैं। माफिया व वोट बैंक की राजनीति से मुक्त वक़्फ़ की ओर बढ रहे हैं।

3. बिल के समर्थन में मुस्लिमों द्वारा वीडियो, रील्स और शॉर्ट्स का निर्माण

आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम समुदाय द्वारा वक़्फ़ संशोधन विधेयक के समर्थन में रील्स और शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो व्यापक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर साझा किए जाएंगे। इन छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से विधेयक के प्रमुख बिंदुओं को सरल और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। रील्स और शॉर्ट्स का उद्देश्य युवा मुस्लिमों के बीच इस कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके समर्थन को जुटाना है।

(विशेष- इस कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार होने तक 100 के लगभग वीडिया लाखों लाख लोगों तक पहुंच और शेयर हो चुके हैं।)

4. लेखों और किताब का प्रकाशन

वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में विचारशील लेख और किताबें भी प्रकाशित की जाएंगी। इनमें विधेयक के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। मुस्लिम लेखकों और विद्वानों द्वारा लिखे गए ये लेख और किताबें इस विधेयक को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करेंगी। कुछ लेखों में यह भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से यह संशोधन मुस्लिम समाज को सशक्त बना सकता है और उसकी वक़्फ़ संपत्तियों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

5. मुस्लिम समुदाय का समर्थन और सोशल मीड़िया का उपयोग

इस विधेयक को मुस्लिमों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य और अन्य मुस्लिम नेता विधेयक के समर्थन में नियमित रूप से अपने विचार साझा कर रहे हैं। इनके विचार न सिर्फ मंचों और कांफ्रेंस में बल्कि लेखों, सोशल मीडिया पोस्ट आंदोलन, और संवादों के माध्यम से भी चारों ओर फैल रहे हैं। मुस्लिम

muslim rashtriya manch

समुदाय JPC के सामने अपने विचार, सुझाव और बिल के समर्थन में सीधा संवाद करने और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

6. **कार्यशालाएं-** मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस विषय पर जागरूकता फैलाने और वक़्फ़ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल के समर्थन में देश भर में 10-15 कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

muslim rashtriya manch

05 सितंबर 2024 को गांधी मंडप में हुए कार्यक्रम के चित्र

नये वक़्फ़ अधिनियम 2024 के समर्थन में कार्यशाला के चित्र 05 सितंबर 2024 को गांधी मंडप, गांधी स्मृति,राजघाट नई दिल्ली

नोट- यह रिपोर्ट मीडिया (प्रिंट, टीव्ही या सोशल मीडिया) में जारी नहीं की गई है।